Speed Post

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003

File No. DO/5/2017/STGOR/DELAAL//RU-III

Date: 17.12.2019

To,

1. The Chairman,
Railway Board,
Rail Bhawan,
Raisina Road,
New Delhi

2. Chief Secretary,
Govt. of Odisha
Bhubaneswar (Odisha)

3. The Principal Secretary,
Revenue Department,
Govt. of Odisha,
Bhubaneswar (Odisha)
751001

4. The General Manager,
South Eastern Railway,
11, Garden Reach Road,
Kolkata-700043

5. The District Collector,
District-Sundargarh,
Odisha.

Sub: **Minutes of Meeting taken by Hon'ble Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes, (NCST) on.21.11.2019 in the matter of representation dated 31.08.2017 of Shri Deme Oram, At Barhabans, PO-Bisra-Birkera, District – Sundargarh, Odisha regarding land matter.**

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of Proceedings of the Sitting taken by Dr. Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson of National Commission for Scheduled Tribes (NCST) **on 19.11.2019 at 12.30 p.m.** for information and necessary action.

It is, requested that action taken report in this regard may please be sent to the Commission within period of **two months.**

Encl: As above

Yours faithfully,

17/12/19

(Dr. Lalit Latta)
Director

Copy to:

1. Shri Deme Oram,
Barhabans, PO-Bisra-Birkera,
District-Sundergarh, Odisha - 770036
2. PS to Hon'ble Chairperson, NCST
3. SAS, NIC, NCST upload on the web site.

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F. No.- DO/5/2017/STGOR/DELAAL/RU-III)

श्री डेमे ओराम व अन्य, बरहाबंस, पोस्ट बिरसा-बिरकेरा, जिला- सुंदरगढ़ ओडिशा द्वारा दक्षिण-पूर्वी रेलवे हेतु अनुसूचित जनजातियों की भूमि अधिग्रहित किए जाने और उनके पुनर्वास संबंधी समस्या के विषय में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय डॉ. नंद कुमार साय की अध्यक्षता में दिनांक 19.11.2019 को आयोग में आयोजित बैठक का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 19.11.2019

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

---

1. श्री डेमे ओराम व अन्य, बरहाबंस, पोस्ट बिरसा-बिरकेरा, जिला- सुंदरगढ़ ओड़िशा द्वारा दक्षिण-पूर्वी रेलवे हेतु अनुसूचित जनजातियों की भूमि अधिग्रहित किए जाने और उनके पुनर्वास संबंधी समस्या के विषय में आयोग में आवेदन दिया गया था।
2. प्रकरण में दिनांक 03.04.2018 को आयोग द्वारा बैठक आहूत की गई थी जिसमें निम्नलिखित अनुशंसाएं की गई थीं :-
    - ओडिशा सरकार के दिनांक 26.11.2008 के सर्कुलर (No. AG-40/2005/49777/CSR&DM) को लागू किया जाए, जो विस्थापितों को कम से कम 5 एकड़ असिंचित और 2 एकड़ सिंचित भूमि दिए जाने का प्रावधान करता है।
    - अधिग्रहित भूमि पर अभी भी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति अपनी गुजर-बसर कर रहे हैं अतः जब तक विस्थापितों को उचित पुनर्वास और पुनर्स्थापन(Resettlement & Rehabilitation) नहीं होता, इन्हें हटाया नहीं जाए।
    - रेलवे बोर्ड भू-विस्थापितों को नौकरी देने के संबंध में आर.आर.बी के दिनांक 19.04.2006 तथा 16.07.2010 के परिपत्रों का पालन कराने के संबंध में कार्रवाई करते हुए आयोग को एक माह के भीतर रिपोर्ट देगा।

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

3. प्रकरण में रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 19.11.2019 को 12.30 बैठक निर्धारित की गई थी। इस संबंध में दिनांक 13.11.2019 को अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, मुख्य सचिव, ओडिशा शासन, प्रधान सचिव, राजस्व विभाग ओडिशा, महाप्रबंधक, दक्षिण-पूर्व रेलवे एवं जिला कलेक्टर, सुंदरगढ़ (ओडिशा) को बैठक का नोटिस भेजा गया था।

4. बैठक में आयोग द्वारा पहले अभ्यावेदक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया। अभ्यावेदक ने बताया कि पिछली बैठक में अनुशंसा की गई थी कि विस्थापित लोगों को प्रशासन द्वारा 2 एकड़ सिंचित अथवा 5 एकड़ असिंचित जमीन दी जाए और तब तक उन्हें अधिग्रहित की गई खाली जमीन पर जीवन यापन करने दिया जाए। प्रशासन के द्वारा अभी जमीन आवंटित नहीं की गई। सभी विस्थापित परिवार वर्तमान में जहां जीवन यापन कर रहे हैं वहां भी रेलवे द्वारा प्रशासन व पुलिस की मौजूदगी में निर्माण कार्य कराया जा रहा है। सभी अनुसूचित जनजाति परिवारों के समक्ष पुनः विस्थापन का संकट उपस्थित है। प्रशासन द्वारा आयोग की अनुशंसा का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

5. जिला कलेक्टर, सुंदरगढ़ ने बताया कि आयोग की पिछली अनुशंसा के अनुसार अनुसूचित जनजाति परिवारों को जमीन देने की प्रक्रिया चल रही है। रेलवे के मार्शलिंग यार्ड का काम चल रहा है। प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं की गई है, रेलवे की पहले से खाली जमीन पर ही निर्माण कार्य चल रहा है। रेलवे के निर्माण कार्य से अनुसूचित जनजाति परिवारों को किसी प्रकार की समस्या नहीं है।

6. अभ्यावेदक ने बताया कि पहले रेलवे द्वारा पट्टे की जमीन पर निर्माण कार्य किया जा रहा था लेकिन अब विवादित जमीन पर भी निर्माण हो रहा है। उक्त स्थल पर किसी तरह का निर्माण न हो इस संबंध में राज्य सरकार का आदेश भी है, फिर भी वहां प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। प्रशासन द्वारा वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर भय उत्पन्न किया गया है।

7. जिला कलेक्टर, सुंदरगढ़ ने बताया कि रेलवे द्वारा जरूरी निर्माण कार्य कराया जाना था। रेलवे द्वारा खाली जमीन पर ही निर्माण कार्य किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का बल प्रयोग व तोड़फोड़ नहीं किया गया है।

8. अभ्यावेदक ने बताया कि राज्य सरकार खाली पड़ी अधिग्रहित जमीन को दूसरे पक्षों को आवंटित कर रही है। कुछ जमीन रेलवे तथा कुछ जमीन निजी बिल्डरों

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

और कंपनियों को दिया जा रहा है। खाली जमीन विस्थापितों को वापस लौटाई जानी चाहिए।

9. राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि अधिग्रहित की गई जमीन को विस्थापित पक्षों को वापस लौटाने का प्रावधान नहीं है। उस समय उक्त अधिग्रहण के कारण विस्थापितों को मुआवजे का भुगतान किया गया था। जमीन को विभिन्न विकास कार्यों के लिए सरकार किसी भी पक्ष को आवंटित कर सकती है।

10. अभ्यावेदक ने बताया कि रेलवे के द्वारा विस्थापित लोगों को नौकरी भी नहीं दी गई है। रेलवे बोर्ड द्वारा कहा जा रहा है कि यह काफी पुराना मामला है इसलिए नौकरी नहीं देंगे।

11. रेलवे के अधिकारी ने बताया कि वर्ष 1998 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा आंध्रप्रदेश के एक मामले में निर्देश दिया गया कि केंद्र सरकार की संस्थाओं में नौकरी के लिए अखिल भारतीय स्तर पर विज्ञप्ति दी जाए और नियुक्ति भी इसी प्रकार की जाए। इससे पहले रेलवे द्वारा नौकरी में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाती थी।

12. मामले में आयोग द्वारा सभी पक्षों को सुनने के पश्चात निम्नलिखित अनुशंसा की गई :-

- आयोग की पिछली अनुशंसा दिनांक 03.04.2018 के अनुसार विस्थापित परिवारों को 5 एकड़ असिंचित और 2 एकड़ सिंचित जमीन प्रशासन द्वारा तत्काल आवंटित की जाए। यह कार्य 2 माह में पूर्ण कर लिया जाए।
- प्रशासन एवं रेलवे विभाग की उक्त जमीन पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करने से पहले विस्थापित अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के साथ बैठक करनी चाहिए। यदि अत्यावश्यक न हो तो वहां पुलिस बल तैनात नहीं करना चाहिए।
- रेलवे को कनिष्ठ पदों पर नौकरी में स्थानीय अनुसूचित जनजाति के विस्थापित लोगों की उम्मीदवारी पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए और उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए।

कार्यवृत्त प्राप्त होने के पश्चात की गई कार्रवाई से 2 माह के अंदर आयोग को अवगत कराया जाए।

12.12.019

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

परिशिष्ट

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F. No.- DO/5/2017/STGOR/DELAAL/RU-III)

श्री डेमे ओराम व अन्य, बरहाबंस, पोस्ट बिरसा-बिरकेरा, जिला- सुंदरगढ़ ओडिशा द्वारा दक्षिण-पूर्वी रेलवे हेतु अनुसूचित जनजातियों की भूमि अधिग्रहित किए जाने और उनके पुनर्वास संबंधी समस्या के विषय में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय डॉ. नंद कुमार साय की अध्यक्षता में दिनांक 19.11.2019 को आयोग में आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों/कर्मियों की सूची-

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**
  - (1.) डॉ. नंद कुमार साय, माननीय अध्यक्ष
  - (2.) श्री एस.के डामोर, माननीय सदस्य
  - (3.) श्री के.तऊथांग, संयुक्त सचिव
  - (4.) डॉ ललित लट्टा, निदेशक
  - (5.) श्री आर.के दुबे, स. निदेशक
  - (6.) श्री आलोक कुमार द्विवेदी, परामर्शक
- **ओडिशा शासन के अधिकारी**
  - (1.) श्री अभय कुमार नायक, अतिरिक्त सचिव, रा. व आपदा प्रबंधन
- **रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली**
  - (1.) श्री सुरेंद्र पाल माही, ईडीई (आरईएस.)
  - (2.) श्री एस. बालाचंद्र अय्यर, ईओई (एन)
- **दक्षिण पूर्व रेलवे के अधिकारी**
  - (1.) डॉ. महुआ वर्मा, सीपीओ (एडएम.)
  - (2.) श्री एस. बिश्वास, एसपीओ
- **जिला कलेक्टर, सुंदरगढ़**
  - (1.) श्री निखिल पवन कल्याण
- **अभ्यावेदक**
  - (1.) श्री डेमे ओराम